कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
सिंचाई प्रमंडल, भभुआ।
जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार
अल्पकालिन निविदा आमंत्रण सूचना –05/2023–24

(Email Id- wwaysmohania@gmail.com)
Mob :- 7463889406

पत्रांक 49/ मोहनियाँ, दिनांक 10/01/2024

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :– कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, भभुआ।
2. निविदा आमंत्रण की तिथि :– दिनांक 10.01.2024
3. निविदा प्रपत्र की बिक्री की तिथि :– दिनांक 19.01.2024 से 23.01.2024 (कार्यालय अवधि में)
4. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय :– दिनांक 24.01.2024 अपराहृन 3.00 बजे तक
5. तकनीकी बिड खुलने की तिथि एवं समय :– दिनांक 24.01.2024 अपराहृन 3.30 बजे।
6. निविदा प्रपत्र की बिक्री का कार्यालय :– 01. मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी।
   02. अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, भभुआ।
   03. कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, भभुआ।
7. निविदा प्राप्ति का स्थान :– कमांक 06 में अंकित सभी कार्यालयों में।
8. वित्तीय बिड खोलने की तिथि समय एवं स्थान :– सक्षम पदाधिकारी द्वारा बाद में घोषित की जायेगी।
9. कार्य की विवरणी :–

ग्रुप सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रु0 में)	अग्रधन की राशि (रु0 में)	परिमाण विपत्र का मूल्य रु0 में (अप्रत्यर्पणीय)	कार्य समाप्ति की तिथि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	कर्मनाशा स्थित निरीक्षण भवन का सुचारु संचालन/ संधारण/ सामान्य रख रखाव कार्य।	1439987.00	28800.00	2500.00	29.02.2024	
2	कुदरा स्थित निरीक्षण भवन का सुचारु संचालन/ संधारण/ सामान्य रख रखाव कार्य।	145950.00	3000.00	500.00	29.02.2024	

10. निविदा प्रपत्र, परिमाण विपत्र में वर्णित मुल्य का बैंक ड्रॉफ्ट जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत हो एवं कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, भभुआ के पदनाम भभुआ शाखा में भुगतेय होगा या **OGRAS-Portal Challan** के माध्यम से जमा किया जा सकता है, जिसकी रसीद कार्यालय में जमाकर निविदा प्रपत्र प्राप्त होगा। निविदा प्रपत्र का मुल्य नगद राशि अथवा रसीद में व्यवहृत राशि किसी भी परिस्थिति में मूल्य लौटाया नही जाएगा।
11. निविदा से सबंधित विस्तृत शर्तें नियम अग्रधन का स्वरुप निविदा एवं अन्य जानकारी के लिए परिमाण विपत्र बिक्री कार्यालय स्थल से सम्पर्क किया जा सकता है।

M.K.
10.01.024

कार्यपालक अभियंता
सिंचाई प्रमंडल, भभुआ

नियम एवं शर्ते :–

1. कार्य की प्राक्कलित राशि घट–बढ़ सकती है, तदनुसार अग्रधन की राशि मान्य होगी।
2. निविदा के साथ अग्रधन की राशि 2 प्रतिशत की दर से तथा एकरारनामा के समय 3 प्रतिशत की दर से देना होगा। शेष 5 प्रतिशत की दर से राशि विपत्र से जमानत राशि की कटौती की जायेगी। परिमाण विपत्र का मूल्य लौटाया नही जायेगा।
3. पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना के अधिसूचना संख्या–13589 (5) पटना, दिनांक 13.12.2011 के कंडिका (4) के उप कंडिका (च) में निहित प्रावधान के अनुसार रू 2500000/– (पच्चीस लाख) तक के **कार्य के निविदा के लिए निविदा दाता को समुचित श्रेणी में (श्रेणी–IV) कैमूर (जिला) हेतु निबंधित होना अनिवार्य होगा। कार्यस्थल जिस जिला में होगा, उसी जिला से निबंधित (श्रेणी–IV) के संवेदक ही इस निविदा में भाग लेंगें।**
4. **अग्रधन की राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक मे सावधि जमा की रसीद अथवा 05 वर्षीय बचतपत्र अथवा निर्गत/डाकघर सावधि जमा 01 वर्षीय/02 वर्षीय/03 वर्षीय पासबुक राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा रसीद बिहार वित्त नियमावली के अनुसार जो बिहार राज्य के डाकघर से क्रय एवं जमा किया हों, जो कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, भभुआ के नाम से विधिवत प्रतिज्ञप्ति हो, निविदा के साथ देना आवश्यक होगा। प्रतिज्ञप्तिकरण की तिथि, निविदा आमंत्रण की तिथि के बाद की होनी चाहिए। किसी भी रूप मे अग्रधन की राशि नगद नहीं ली जाएगी।**
5. अस्पष्ट एवं सशर्त निविदा मान्य नही होगा।
6. सरकार के परिपत्र एवं आदेश के आलोक में GST आयकर एवं 1 प्रतिशत लेबर शेष, स्वामित्व, मालिकाना फीस एवं अन्य अनुमान्य करों की कटौती विपत्र से की जायेगी।
7. कार्य का एकरारनामा P.W.D. Form F2 (कंडिका 23 विलोपित) पर किया जायेगा।
8. भुगतान के पूर्व गुण नियंत्रण जॉचफल प्रतिवेदन एवं पूर्व माह का GST Clearance Certificate अनिवार्य होगा।
9. **निविदा के साथ वैध संवेदक निबंधन पत्र, अग्रधन की राशि, शपथ–पत्र एवं अद्यतन चारित्री प्रमाण–पत्र (सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत) की छायाप्रति का स्व–अभिप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।**
10. **कार्य आवंटित होने के उपरांत एकरारनामा के साथ अद्यतन लेबर लाईसेंस हेतु फॉरम V निर्गत किया जायेगा, तदानुसार लेबर लाईसेंस प्राप्त कर प्रमंडलीय कार्यालय मे समर्पित करना होगा।**
11. **विभागीय पत्रांक–528 दिनांक–13.06.2013 के अनुसार नोटरी द्वारा शपथ–पत्र मूल में संलग्न करना अनिवार्य एवं आवश्यक होगा।**
12. निविदा दो लिफाफा में देना होगा, जिसमें एक पर Technical Bid तथा दूसरे पर Financial Bid अंकित कर दोनों को एक बड़ा लिफाफा में बंद कर सील कर साथ देना होगा। अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जायेगी। लिफाफे पर कार्य का नाम, ग्रुप संख्या, निविदा सूचना संख्या, निविदा दाता का नाम, पता एवं मोबाईल नम्बर लिखना आवश्यक है।
13. निविदा निष्पादन के दौरान उन निविदा कारों को कार्य आवंटन से वंचित रखा जाएगा, जिनके विरूद्ध विभाग से कालीकरण की कार्रवाई चल रहीं है या कार्यकलाप संदेहास्पद हो या इस प्रमंडल में पुर्ण किये कार्य संतोषप्रद नहीं है अथवा समय पर पूरा नहीं किया गया है।
14. तकनीकी बीड में कई सफल निविदादाताओं का समान न्यूनतम निविदित दर रहने की स्थिति में सफल निविदादाता का चयन बिहार लोकनिर्माण विभाग, संहिता के नियमानुसार लॉटरी पद्धति के द्वारा किया जायेगा।
15. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए स्थगित या रद्द करने का अधिकार निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
16. निविदा का पूर्ण शर्त एवं विशिष्टियाँ आदि परिमाण विपत्र के साथ संलग्न रहेगी।
17. निविदा प्राप्ति की तिथि को राजपत्रित अवकाश घोषित होने पर निविदा अगले कार्य दिवस को निश्चित समय पर प्राप्त एवं खोली जायेगी।
18. जल संसाधन विभाग, बिहार द्वारा निविदा से संबंधित निर्गत अद्यतन दिशा–निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

19. निविदित दर, **Serious unbalanced rate** होने की स्थिति में **Additional Performance Guarantee,** **पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–448 (S) एवं पत्रांक–449 (S) दिनांक–16.01.2020 के अनुसार जमा करना होगा एंव निविदित दर की अधिसीमा नही रहेगी ।**

20. **वित्तीय बीड में संवेदक द्वारा प्रतिशत में दर अंकित किया जायेगा, जो दशमलव के दो अंक तक मान्य होगा।**

21. **निविदा डालने के पूर्व संवेदक स्थल निरीक्षण कर लें। बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।**

22. संवेदक को सभी कार्य विस्तृत परिमाण विपत्र में वर्णित शर्तो एवं स्वीकृत कार्य के अनुसार कार्य करना अनिवार्य है तथा **जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा निविदा से संबंधित सभी अद्यतन अनुदेश एवं शर्ते निविदा के लिए मान्य होगा।**

23. **निविदा, निविदादाताओं एवं उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के सामने खोला जायेगा।**

24. निम्न आशय का शपथ–पत्र (Affidavit) निविदा के साथ समर्पित करना होगा, जो निम्नप्रकार है:–

"I the undersigned, do hereby certify that all the statements made in the required attachment are true and correct and if found fake/forge, the undersigned will be liable for infliction upon the FIR and Lawful punishment as well blacklisting."

25. जल संसाधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–01/PMC/vivid/161/2023-205 dt 20.03.2023 के निदेशानुसार जिन्हें कार्य आवंटित होगा उनहें CBUD App (Call Before U dig App) के माध्यम से कार्य संबंधित सूचना देना होगा ।

कार्यपालक अभियंता
सिंचाई प्रमंडल, भभुआ

पत्रांक:–49 मोहनियॉ / दिनांक:–10/01/2024

प्रतिलिपि:– सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी,जल संसाधन विभाग,सिंचाई भवन पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।अनुरोध है कि क्षेत्रीय सामाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करने की कृपा करे।

M.K. 10.01.024

कार्यपालक अभियंता
सिंचाई प्रमंडल, भभुआ